रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2013/पौष 3, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 204

No. 196] DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/ PAUSHA 3, 1935 [N.C.T.D. No. 204

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक, 24 दिसम्बर, 2013

फा. सं. 50(29)/97/डीसी/स्था0/17777:—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68—डी (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 25.4.1998 की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या 53/149/96—एमएंडपीएच के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन औषधि नियंत्रण विभाग में औषधि निरीक्षक के पद के लिये निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (क) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, औषधि निरीक्षक के भर्ती नियम, 2013 कहा जाए।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमानः**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं इत्यादिः**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति

(1) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(2) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। शर्त यह है कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्तिः**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औषधि नियंत्रक विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में औषधि निरीक्षक के पद के भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	औषधि निरीक्षक
2.	पदों की संख्या	:	31* (2013) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	पे बैंड-II 9300-34800/-रुपये (ग्रेड पे 4800/-रुपये)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक षिथिलनीय) **नोटः**—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है ताकि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	**अनिवार्यः**—विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विष्वविद्यालय से नैदानिक भेषज्य गुणविज्ञान अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान में विषेज्ञता सहित फार्मेसी अथवा भेषज्य विज्ञान अथवा कार्य-चिकित्सा में उपाधि। शर्त यह है कि केवल वे निरीक्षकः

			(i) जो अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थ में से कम से कम एक के विनिर्माण में 18 माह का अनुभव रखते हों। अथवा (ii) लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित प्रयोगशाला में अनुसूची 'ग' विनिर्दिष्ट पदार्थ में से कम से कम एक के परीक्षण में 18 माह का अनुभव रखता हो। अथवा (iii) औषधि नियंत्रक के रूप में अपनी सेवाओं के कार्यकाल के दौरान अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का निर्माण करने वाली फार्मों के निरीक्षण में कम से कम तीन व का अनुभव रखने वाले अनुसूची 'ग' में उल्लिखित पदार्थों के निर्माण के निरीक्षण के लिये प्राधिकृत होंगे। (शर्त यह है कि शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अपेक्षाएं उन निरीक्षकों पर लागू नहीं होंगी जो 18 अक्तूबर, 1993 को निरीक्षक के रूप में नियुक्त थे) **टीप–1** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं (कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड/दर्ज करते हुए) संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप–2** यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं (कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड/दर्ज करते हुए) संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय स्थायीकरण समिति (1) विकास आयुक्त (अध्यक्ष) (2) संबंधित सचिव (सदस्य) (3) संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो (सदस्य)
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुषमा सिंह, उप-सचिव

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 24 December, 2013

NO.F.50(29)/97/DC/Estt./ 17777.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.24/78/68-D(S), dated the 24th September, 1968 and in supersession of the Health and Family Welfare Department's earlier Notification No. F.53/149/96-M&PH dated 25.04.1998, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi after previous consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make recruitment rules for the post of Drugs Inspectors in the Drugs Control Department under Health and Family Welfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Drugs Control Department Drugs Inspectors Recruitment Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, its classification and scale of pay** – The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications** – No person, - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** – Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Drugs Inspectors under the Drugs Control Department, Government of NCT of Delhi, Delhi

Name of Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and E.Q. prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Drugs Inspector	31* (2013) *subject to variation depending on work-load	General Central Services Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band 2 Rs. 9300-34800 (Grade Pay Rs.4800)	N.A.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizo-	Essential: Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Science or in Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by law: Provided that only those Inspectors i) Who have not less than 18 months experience in the manufacture of at	N.A.	2 Years	By direct recruitment	N.A.	Departmental Confirmation Committee 1 Development Commissioner (Chairman) 2. Secretary concerned (Member) 3. Head of the Department concerned (Member) unless he is also ex-officio Secretary	Consultation with UPSC necessary while making direct recruitment

5381 DG/13-2

					ram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Panji Sub-Division of Chamba Distt. of Himachal Pradesh. Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep)	least one of the substances specified in Schedule C; **OR** ii) Who have not less than 18 months' experience in the testing of at least one of the substance specified in Schedule C in a Laboratory approved for this purpose by the licensing authority; **OR** iii) Who have gained experience not less than three years in the inspection of firms manufacturing any of the substances specified in Schedule C during the tenure of their services as Drugs						

						Inspectors; shall be authorised to inspect the manufacture of the substances mentioned in Schedule 'C'						
						Note: Provided further that the requirement as to the academic qualification shall not apply to those who were appointed as Inspectors on or before the 18th day of October, 1993. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:**						

						The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserve-ed for them.						

By order and in the name of
the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi

SUSHMA SINHA, Dy. Secy.

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिनांक, 24 दिसम्बर, 2013

एफ.सं.1/16/2007/गृ०पु० (सा०)/5409.– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित बम्बई गृह रक्षक अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 में फिर से संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात:-

1. संक्षिप्त **शीर्षक एवं** प्रारंभ:- (1) इन नियमों को दिल्ली गृह रक्षक (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा ।

   (2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी ।

2. नियम 8 **का** संशोधन:- दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 के नियम 8 में निम्नलिखित परंतुक अंत में जोड़ा जाएगा अर्थात:-

यह भी शर्त है कि कार्यकाल बीतने के बाद गृह रक्षक स्वयं सेवक, जो मानसिक रूप से चौकस है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, अनुशासित और दिल्ली गृह रक्षक में एक स्वयं सेवक के रूप में अपने पूर्व सेवाकाल में संतोषजनक कार्य प्रदर्शन किया हो, वे गृह स्वयं सेवकों के रूप में नामांकन के लिए नए सिरे से प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर सकते है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
इंदु सिन्हा, **उप सचिव**

HOME (GENERAL) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Dated, the 24th December, 2013

F.No.1/16/07/HG/5409. In exercise of powers conferred by section 8 of the Bombay Home Guard Act, 1947, as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Home Guards Rules 1959, namely:-

1. Short title commencement – (1) These rules may be called the Delhi Home Guard (Amendment) Rules 2013.
   (2) They shall be come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. Amendment of rule 8- In the Delhi Home Guards Rules, 1959, in rule 8, the following proviso shall be added in the end, namely:-
   "Provided also that after the expiry of the terms, the Home Guard Volunteers who are mentally alert, physically fit, well disciplined and have shown satisfactory performance during their previous tenure of service in Delhi Home Guard as a volunteer may apply as a fresh candidate for enrolment of Home Guard Volunteers."

By order and in the name of the
Lt. Governor of the N.C.T. of Delhi,
INDU SINHA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.